रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 17, 1998/भाद्र 26, 1920
No. 615] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1998/BHADRA 26, 1920

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1998

का. आ. 825 (अ).—निम्नलिखित अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप करने का इच्छुक है इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे लिखित में केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है।

प्रारूप प्रस्थापनाएं

1. यह प्रस्थापना की जाती है कि पंचमढ़ी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन के रूप में अधिसूचित किया जाए जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा और बेतूल जिलों में 22° 11′ उत्तरी अक्षांश से 22° 32′ उत्तरी अक्षांश तक और 77° 54′ पूर्वी देशान्तर से 78° 45′ पूर्वी देशान्तर तक के बीच अवस्थित है। प्रस्तावित जोन के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तहसील में अवस्थित पंचमढ़ी नगर है जो समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पठार पर 22° 28′ उत्तरी अक्षांश और 78° 26′ पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन में एक अंतरतम क्षेत्र होगा जिसमें पंचमढ़ी नगर और इससे लगे हुए उपान्त क्षेत्र, अभयारण्य और जोन के राष्ट्रीय उद्यान होंगे। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के समस्त क्रिया-कलाप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

2. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन में निम्नलिखित क्रिया-कलापों को आरंभ करने /विनियमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है :—

(क) जोनल विकास योजना

(i) सम्पूर्ण जोन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विकास योजना तैयार की जाएगी जो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगी। योजना में औद्योगिक संपदाओं को स्पष्टतः निश्चित किया जाएगा।

(ii) नगर और ग्राम्य योजना अधिनियम, 1973 के अधीन यथा परिभाषित पंचमढ़ी विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र विकास योजना होगी जो जोनल विकास योजना के एक घटक के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और मध्य प्रदेश नगर और ग्राम्य योजना अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अनुसार विशिष्ट क्षेत्र विकास योजना की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व इस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी।

(iii) इसी प्रकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन में अन्य सभी आवासों, जिनकी जनसंख्या पांच हजार से अधिक है में क्षेत्र विकास योजनाएं होंगी जो जोनल विकास योजना के संघटक के रूप में होंगी।

(ख) **औद्योगिक इकाइयां :** उद्योग केवल औद्योगिक संपदा क्षेत्र में ही अवस्थित होंगे और वे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए मार्ग दर्शक सिद्धांतों तथा साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होंगे।

मार्ग दर्शक सिद्धांत तैयार करते समय मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों की उस टाइप/अवसीमा को विनिर्दिष्ट करेगी जो पूर्ण रूप से प्रतिशिद्ध हैं और उनको जिन्हें आकलन के पश्चात् अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिसकी अपेक्षाएं और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट हैं और उनको जिन्हें उपबंधित कतिपय मानदंडों का पालन करने पर मुक्त रूप से अनुज्ञा दी जाएगी, परंतु इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की कोई बात 4 मई 1994, 10 अप्रैल, 1997 और तत्पश्चात् संशोधित केन्द्रीय सरकार की 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होगी।

(ग) **खदान क्रिया और खनन :** अधिसूचना के पैरा 1 के अधीन उल्लिखित अंतरतम क्षेत्र में खुदाई और खनन क्रिया-कलाप पर पूर्णतया पाबंदी होगी।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन में यथा संभव कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। जोनल विकास योजना पर विचार करने के पश्चात् पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन (अंतरतम क्षेत्र के बाहर) में खुदाई और खनन पट्टा देने या विद्यमान पट्टा के नवीकरण के लिए विशेष अनुज्ञा देने का प्राधिकार मॉनीटर समिति को होगा।

(घ) **वृक्ष :** पारिस्थितिक रूप से संवदनशील जोन के भीतर किसी भी वृक्ष को चाहे वे वन, सरकारी, छावनी, राजस्व भूमि पर हों या प्राइवेट भूमि पर हों वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकारी, छावनी, राजस्व और प्राइवेट भूमि की दशा में अपने-अपने जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं गिराए जाएंगे। अनुमति की प्रक्रिया वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(ङ) **पर्यटन :** पर्यटन क्रिया-कलाप, पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यटन विकास योजना के अनुसार होंगे। पर्यटन विकास योजना, जोनल विकास योजना के एक घटक के रूप में होंगी।

(च) **प्राकृतिक विरासत :** जोन में अनुपम प्राकृतिक विरासत के स्थलों की पहचान की जाएगी विशिष्टतय: शैल समूह, जल प्रपात, जलाशय, दर्रे, कुंज, गुफाएं आदि तथा उनके प्राकृतिक संवर्ग में उनके संरक्षण के लिए योजनाओं को जोनल विकास योजना में सम्मिलित किया जाएगा। पर्यटक सुविधाएं देने के नाम पर इन स्थलों पर या इनके आस-पास सन्निर्माण कार्यों को निरुत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे। उक्त जोन में सभी जोन पूल आरक्षित क्षेत्र सुरक्षित रखे जाएंगे। राज्य सरकार उनके संरक्षण/परिरक्षण के लिए उचित योजनाएं तैयार करेगी। ये योजनाएं औद्योगिक विकास योजना के भाग रूप होंगी।

(छ) **पारंपरिक विरासत :** विलक्षण ऐतिहासिक या स्थापत्य महत्व के भवनों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए योजनाओं को विशिष्टतय: उनकी बाह्य आकृति को जोनल विकास योजना में मिला दिया जाएगा। जोन विशिष्टतय: पंचमढ़ी नगर में भवन तथा अन्य क्रिया-कलापों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे, जिससे कि नगर का विशिष्ट स्वरूप और विलक्षण परिवेश बनाए रखा जा सके।

3. मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनीटर समिति का गठन करेगी। मॉनीटर समिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होगा।

4. भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 23 की परिसीमाओं के अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश सरकार के आवास और पर्यावरण विभाग को मंत्रालय द्वारा जोनल विकास योजना और इसके संघटकों का अनुमोदन कर दिए जाने के परिणामस्वरूप पंचमढ़ी के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग करने और सभी कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त करता है।

5. परन्तु ऐसी कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित की गई नहीं समझी जाएगी जो 4 मई, 1994, 10 अप्रैल, 1997 और तत्पश्चात् यथासंशोधित 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित है।

[सं. जे-20012/14/949-आई ए-III]

आर. एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1998

S.O. 825(E).—The following notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the environment (Protection) rules, 1986 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran, Bhavan, C GO Complex Lodhi, Road, New Delhi-110003.

DRAFT PROPOSALS

1. It is proposed to notify Pachmarhi Region as an Eco Sensitive Zone, located between latitude 22° 11′ North to 22 32' North and longitude 77 54′ Eastr to 78° 45′ East, falling in Hoshangabad, Chhindwara and Betul districts of Madhya Pradesh. The proposed zone would include Pachmarhi Town, situated in Sohagpur Tehsil of Hoshangabad district, and located at latitude 22° 28′ North and longitude of 78° 26′ East on the plateau of Satpura range at an altitude of approximately 1067 meters above mean sea level.

The Eco Sensitive Zone shall have a core area consisting of Pachmarhi Town and its immediate environs, sanctuaries and national parks in the zone. All activities in the sanctuaries and anational parks shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act 1972.

2. The following activities are prposed to be undertaken/regulated in the Eco-Sensitive Zone :

(a) **Zonal Development Plan**

(i) A devclopment plan for the entire zone should be prepared by the State Government and approved by the Ministry of environment and Forest in Government of India. The plan should clearly earmark industrial estates.

(ii) The area defined as Pachmarhi Special Area under the Town and Country Planning Act 1973 should have a Special Area Development Plan which will have to be prepared by the State Government as a Component of the Zonal Development Plan and concurrence of the Ministry of Environment and Forests will be obtained on this before publication of the notification of the Special Area Development Plan as per section 19 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act 1973.

(iii) Similarly, all other habitations in the Eco-Sensitive Zone having populations of more than 5000 should have Area Development Plans which will form components of the Zonal Development Plan.

(b) **Industrial Units :** Location of industries shall be only in the industrial estates and has to be as per guidelines drawn up by the Government of Madhya Pradesh as well as the guidelines issued from time to time by the Ministry of Environment and Forests.

In drawing up guidelines, the Government of Madhya Pradesh shall specify the types/ threshoud limits of industries that are completely prohibited, those that can be permitted after an appraisal, the requirements and procedures of which are specified, and those that shall be freely permitted provided certain critieria are met which should be specified; Provided that nothing in these guidelines shall conflict with the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of January 27, 1994 of the Central Government as amended on May 4, 1994, April 10, 1997 and as may be subsequently amended.

(c) **Quarrying and Mining :** Quarrying and mining activities are totally banned in the core area mentioned under para 1 of the Notification.

As far as possible no fresh mining lease shall be granted in the Eco-Sensitive Zone. The Monitoring Committee shall be the authority to give special permission for mining lease or quarrying of renewal of existing lease in Eco-Sensitive Zone (Outside the core area), after taking into consideration the Zonal Development Plan.

(d) **Trees :** There shall be felling of trees whether on Forest, Government, Cantonment, Revenue, or private lands within the Eco-Sensitive Zone, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Cantonment, Revenue and private land, as per procedure which the State Government may prescribe.

(e) **Tourisim :** Tourism activities should be as per a Tourism Development Plan to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism and approved by the Ministry of Environment and Forests. The Tourism Development Plan will also form a component of the Zonal Development Plan.

(f) **Natural Heritage :** The sites of unique natural heritage in the zone will be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, gorges,

groves, cave etc. and plans for their conservations in their natural setting will be incorporated in the Zonal Development Plan. Strict guidelines will be drawn up by the State Government to discourage constructions activities at or near these sites under garb of providing tourists facilities. All the gene pool reserve areas in the zone would be preserved. The State Govt. would draw up proper plans for their conservations/ preservation. These plans would form a part of the Zonal Development Plan.

(g) **Man-made Heritage :** Building of distinct historical or architectural importance will be identified and plans for their conservation, particularly their exteriors will be incorporated in the Zonal Development Plan. Guidelines will be drawn up by the State Government to regulate building and other activities in the Zone, particularly in Pachmarhi Town, so that the special character and distinct ambience of the Town is maintained. is

3. The Government of Madhya Pradesh shall constitute a High-Level Monitoring Committee to ensure compliance of the conditions mentioned in the Notification. The Monitoring Committee shall have a representative of the Central Pollution Control Board and a representative of the Ministry of Environment and Forests.

4. In exercise of the powers under Section 3(3) of the Environment (Protection Act, 1986, and subject to the limitations of Section 23 of the said Act, the Ministry of Environment and Forests, Government of India empowers the Housing and Environment Department, Government of Madhya Pradesh, to exercise all the powers and functions under the Act with regard to the Pachmarhi Eco-Sensitive Zone consequent to the approval of the Zonal Development Plan and its components by the Ministry.

5. Provided that no powers shall be deemed to be delegated as are required to be exercised by the Government of India as per the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of January 27, 1994 as amended on May 4, 1994, April 10, 1997 and as may be subsequently amended.

[No. J-20012/14/IA94-III]

R. H. KHWAJA, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.